भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3178
(जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 15 मार्च, 2021/24 फाल्गुन, 1942 (शक) को दिया जाना है)

मधुमक्खीपालन हेतु कर लाभ

3178. श्रीमती नवनित रवि राणा:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मधुमक्खीपालन को न तो उद्योग माना जाता है और न ही कृषि क्रियाकलाप माना जाता है तथा मधुमक्खीपालन आय पर कोई कर लाभ नहीं है; और
(ख) यदि हां, तो मधुमक्खीपालन हेतु कर लाभ तथा अन्य मौद्रिक लाभ प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख):

(i) मधुमक्खी पालन एक कृषि-आधारित क्रियाकलाप है जो ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों/भूमिहीन श्रमिकों द्वारा एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) के एक भाग के रूप में की जा रही है। मधुमक्खीपालन फसलों के परागण में उपयोगी रहा है, जिससे फसल की पैदावार बढ़ाने और शहद और अन्य मधुमक्खी छत्ता उत्पादों, जैसे शाही जेली, मधुमक्खी पराग, प्रोपोलिस, मधुमक्खी का मोम, आदि को उपलब्ध कराने के माध्यम से किसानों/मधुमक्खीपालकों की आय में वृद्धि हुई है जो ग्रामीण गरीबों के लिए आजीविका का स्रोत है।

(ii) आयकर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') के तहत, मधुमक्खी पालन और शहद और मधुमक्खियों के मोम उत्पादन से होने वाली आय 'व्यवसाय आय' के रूप में कर लगाए जाने योग्य है। इस अधिनियम में मधुमक्खीपालन व्यवसाय से प्राप्त आय के लिए कोई विशेष छूट प्रदान नहीं की गई है। हालांकि, मधुमक्खीपालन में निवेश को बढ़ावा देने के लिए, अधिनियम की धारा 35 क के तहत मधुमक्खीपालन और शहद और मधुमक्खी के मोम उत्पादन व्यवसाय में लगे निर्धारिती को आकलन वर्ष 2013-14 से उक्त धारा में निर्धारित शर्तों के अधीन निवेश से जुड़ा कटौती की अनुमति है। अधिनियम की धारा 35कघ के मौजूदा प्रावधानों के तहत, निर्धारिती को निवेश से जुड़ा प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, यदि वह निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष के दौरान जिसमें कि ऐसा व्यय किया जाता है, पूर्ण और विशेष रूप से उक्त व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए किए गए पूँजीगत प्रकृत्ति के किसी भी खर्च के पूरे (जमीन, साख और वित्तीय लिखतों के अलावा) के संबंध में 100 प्रतिशत कटौती की अनुमति देने का विकल्प चुनता है।

(iii) जीएसटी परिषद ने यूनिट कंटेनरों में पैक किए गए ब्रांडेड प्राकृतिक शहद पर 5% की रियायती दर और गैर-ब्रांडेड प्राकृतिक शहद पर 'शून्य' जीएसटी की सिफारिश की है।

(iv) इसके अलावा, भारत सरकार, देश में वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन के समग्र संवर्धन और विकास के लिए "राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन" को लागू कर रही है।

*****